न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या : 81/2021 तारीख दायर : 21.09.2021

अनवान

01. बाबुलाल पिता मोहन जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
02. शारदा देवी पत्नि बाबुलाल जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... प्रार्थी

बनाम

01. विजय सिंह पिता मोहन जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
02. ऊकार पिता मांगु जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

– : आदेश : –

दिनांक 30/11/2021

प्रार्थना पत्र बाबुलाल पिता मोहन, पत्नि शारदा देवी जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री मोहन लाल जोशी, सुमीत जोशी, जशवंत सिंह सोलंकी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम आटी, पटवार हल्का गुढा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र कांस्या,तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज. में खाता सं. 109 पर आरजी संख्या 474 रकबा 0.2266 है0 व आरजी सं. 477/18 रकबा 0.8094 है0 भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया

अतः प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 में शिविर स्थान कांस्या.... में पत्रावली पेश हुई हमनें पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074– 2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम आटी, पटवार हल्का गुढा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र कांस्या,तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज. में खाता सं. 109 पर आरजी संख्या 474 रकबा 0.2266 है0 व आरजी सं. 477/18 रकबा 0.8094 है0 भूमि की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि **100/–** रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। भू0अ0नि0 कांस्या को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। फीस **500/–** रूपये वक्त पत्थर गढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां